रिपोर्ट करने योग्य

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार

विशेष अवकाश याचिका (सिविल) संख्या 10499/2022

पूर्व कांस्टेबल चालक मुकेश कुमार रेगर - याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ व अन्य - प्रत्यर्थी

निर्णय

बेला एम. त्रिवेदी, न्यायाधिपति

1. वर्तमान विशेष अनुमति याचिका राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर के लिए द्वारा पारित 16.11.2021 के फैसले और आदेश के खिलाफ निर्देशित है, जिसके तहत खण्ड पीठ ने उत्तरदाताओं-भारत संघ (खण्ड पीठ के समक्ष अपीलकर्ता) द्वारा दायर डी. बी. विशेष अपील रिट संख्या 637/2021 को अनुमति दी है, और एकल पीठ द्वारा पारित 17.02.2021 के आदेश को दरकिनार कर दिया है, जिसने वर्तमान याचिकाकर्ता (खण्ड

पीठ के समक्ष प्रतिवादी) द्वारा दायर सिविल रिट याचिका संख्या 17475/2018 को अनुमति दी थी।

2. वर्तमान याचिकाकर्ता को 03.11.2007 पर CISF में कांस्टेबल के पद पर नियुक्त किया गया था। अप्रैल, 2009 में याचिकाकर्ता को कमांडेंट डिसिप्लिन, सी. आई. एस. एफ. के कार्यालय से सी. आई. एस. एफ. नियम 2001 (इसके बाद "उक्त नियम" के रूप में संदर्भित) के नियम 36 के तहत एक नोटिस/आरोप-पत्र प्राप्त हुआ जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता ने अपने चरित्र प्रमाण पत्र का सत्यापन जमा कराते समय इस तथ्य को दबा दिया था कि वह भा.दं.सं. सी. की धारा 323, 324 और 341 के तहत अपराध के लिए एक आपराधिक मामले में शामिल था, जिसके संबंध में उसके खिलाफ 21.10.2003 पर एक एफ. आई. आर. दर्ज की गई थी। यह कि उक्त कार्यवाही में जांच अधिकारी द्वारा संबंधित न्यायालय के समक्ष आरोप-पत्र प्रस्तुत करने पर, मामला उक्त न्यायालय के समक्ष मुकदमे के लिए लंबित था जब याचिकाकर्ता द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र सी. आई. एस. एफ. अधिकारियों को प्रस्तुत किया गया था। इसमें यह भी कहा गया था कि चूंकि नियुक्ति पत्र के साथ दायर उनके चरित्र प्रमाण पत्र में आपराधिक मुकदमे विचाराधीनता होने के बारे में जानकारी को दबाने का कार्य घोर दुराचार और अनुशासनहीनता की श्रेणी में था, इसलिए वह बहुत अनुशासित पुलिस बल यानी सी. आई. एस. एफ. में नियुक्त होने के योग्य नहीं थे। इसके बाद याचिकाकर्ता के खिलाफ

अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई। अनुशासनात्मक कार्यवाही के दौरान, याचिकाकर्ता ने अपनी गलती स्वीकार प्राथमिकी ली। कमांडेंट अनुशासन, सी. आई. एस. एफ. ने याचिकाकर्ता की कम उम्र और भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए, 6320-6070/- ग्रेड वेतन से एक चरण नीचे Rs.5200-20,200/- के वेतन बैंड ग्रैड पे देकर दंडित किया। हालाँकि, 06.10.2009 पर, उप महानिरीक्षक (पश्चिम क्षेत्र), एयर पोर्ट हेड क्वार्टर-नवी मुंबई-ने स्वप्रेरणा संज्ञान लेते हुए दिनांकित 11.07.2009 के आदेश को संशोधित किया और CISF नियम, 2001 के नियम 54 को लागू करते हुए याचिकाकर्ता के खिलाफ नए विभागीय जांच के लिए मामले को वापस भेज दिया। उक्त विभागीय जांच का समापन 09.03.2010 पर याचिकाकर्ता को सेवा से हटाने में हुआ, जिसके खिलाफ याचिकाकर्ता ने एक विभागीय अपील दायर की थी, हालांकि, उक्त अपील को अपीलीय प्राधिकरण द्वारा दिनांकित 23.06.2010 आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया। याचिकाकर्ता द्वारा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष दायर की गई पुनरीक्षण याचिका, जिसमें उक्त आदेश दिनांक 23.06.2010 का आरोप लगाया गया था, को भी पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा दिनांकित 21.12.2010 आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया।

3. सी. आई. एस. एफ. के विभिन्न अधिकारियों द्वारा पारित उक्त आदेशों से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने जयपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका संख्या 8190/2012 दायर की। एकल पीठ ने

दिनांक 16-02-2018 के आदेश के माध्यम से याचिकाकर्ता के खिलाफ पारित हटाने के आदेश को दरकिनार कर दिया और याचिकाकर्ता को अवतार सिंह बनाम भारत संघ और अन्य (2016) 8 एससीसी 471 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के संदर्भ में अपने मामले पर पुनर्विचार के लिए नियुक्ति प्राधिकरण के समक्ष एक विस्तृत अभ्यावेदन दायर करने का निर्देश दिया। नियुक्ति प्राधिकरण को उक्त निर्णय के संदर्भ में एक तर्कपूर्ण और बोलने वाले आदेश द्वारा याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व पर निर्णय लेने का निर्देश दिया। कमांडेंट सी. आई. एस. एफ. इकाई सी. एस. आई. ए., मुंबई ने अवतार सिंह (उपरोक्त) के मामले में फैसले के आलोक में याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व पर विचार करने के बाद कहा कि सी. आई. एस. एफ. भारत संघ का एक सशस्त्र बल है, जो संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात है, इसलिए बल के कर्मियों को उच्चतम क्रम का अनुशासन बनाए रखने की आवश्यकता है, और गंभीर अपराधों में याचिकाकर्ता की भागीदारी ने उन्हें ऐसे बल में नियुक्ति से वंचित कर दिया और इसलिए, उन्हें सी. आई. एस. एफ. में कांस्टेबल/जी. डी. के पद के लिए नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया।

4. याचिकाकर्ता ने फिर से एक रिट याचिका संख्या 17475/2018 दायर की थी जिसमें उक्त आदेश दिनांक 14.05.2018 पर आक्षेप लगाया गया था। एकल पीठ ने फिर से उक्त आदेश को दरकिनार कर दिया और रिट याचिका को अनुमति दी जिसमें प्रतिवादी को दिनांकित 17.02.2021 के